रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आषाढ़ 31, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 131
No. 149]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ ASADHA 31 , 1938	[N.C.T.D. No. 131

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2016

सं.फा.16(524)/ष.वि./जल/2015/1225-26.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 10 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या फा. 16 (349)/"श.वि./डब्ल्यू/2002/8093 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड में **कनिष्ठ विधि अधिकारी/विधिक अधीक्षक** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :— (1) इन विनियमों को **कनिष्ठ विधि अधिकारी/विधिक अधीक्षक**, दिल्ली जल बोर्ड भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा पे बैंड तथा ग्रेड पे/उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि दिल्ली जल बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :–** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :–** इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

''अनुसूची''

1.	पदनाम	:	**कनिष्ठ विधि अधिकारी/विधिक अधीक्षक**
2.	**पदों की संख्या**	:	04 (2016) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'ख'
4.	**पे बैंड/ग्रेड पे/वेतनमान**	:	पीबी–2 9300–34800/–रुपये (ग्रेड पे 4200/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	पदोन्नति वालों के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	50प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर 50प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :–** ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित 2800/–रुपये के ग्रेड पे में 5200–20,200/–रुपये के वेतनमान में पे बैंड–1 में विधिक सहायक जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड संस्थान से विधिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टीप 1:–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ

अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

टीप 2:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संषोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ विष्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अर्धसरकारी या सांविधिक/स्वायत्त संगठन के निम्नलिखित अधिकारी:–

क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(2) पे बैंड–1 में 5200–20200/–रुपये के वेतनमान में ग्रेड पे 2800/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि

अथवा

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि

अथवा

(iii) विधि व्यवसाय (प्रैक्टिशनर) के रूप में तीन वर्ष का अनुभव अथवा विधिक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव

अथवा

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में पांच वर्षीय समेकित उपाधि; तथा

(ii) विधि व्यवसाय (प्रैक्टिशनर) के रूप में चार वर्ष का अनुभव अथवा विधिक कार्य में चार वर्ष का अनुभव

टीप–1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

टीप–2: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।

टीप–3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा

			यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	पदोन्नति एवं स्थायीकरण के लिये ''ख'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :– 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक) – सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल) – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2016

No. 16(524)/UD/W/2015/1225-26.— The following regulations made by the Delhi Water Board which in exercise of power conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998) and in supersession of the Delhi Administration Notification No. F 16(349)/UD/W/2002/8093 dated the 10th September 2004 except as respects things done or omitted to be done before such supersession after approval of Competent Authority and Union Public Service Commission, for regulating the method of recruitment to the post of Junior Law Officer/Legal Superintendent in Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement –** (I) These regulations may be called Delhi Jal Board Junior Law Officer/Legal Superintendent Recruitment Regulations, 2016.

   (II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, its Classification and pay band and grade pay/scale of pay -** The number of posts, its classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications -** The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification -** No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. **Power to relax -** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be

recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving -** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post.
1.	2.	3.	4.	5.
Junior Law Officer/Legal Superintendent	4 (2016) Subject to variation dependent on workload	Category 'B'.	PB -2, Rs. 3900-34800 /- Plus Grade pay Rs. 4200/-)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and % of the vacancies to be filled by various methods.
6.	7.	8.	9.	10.
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees	50% by Promotion failing which by deputation including short term contract, 50% by deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11.	12.	13.
<u>Promotion</u> Legal Assistant in pay band-1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- with six years regular service in the grade and have undergone two weeks training in legal matters from the GNCT Delhi training institute. **Note: 1** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, there seniors would also be considered provided they are not short of	**Category 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** 1. Member (Admin) – Chairman 2. Director (A&P) – Member 3. Assistant Commissioner (Water) - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, OR two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note: 2** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, The Service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation (Including Short Term Contract):** Officers of the Central/State Government/U.TS/ Universities/Recognized Research Institutions/PSUs/Semi-Government OR Statutory OR /Autonomous Organizations:- **(a) (i)** Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR **(ii)** with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-1 Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/department; AND **(B)** Possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's degree from a recognized university/institute; AND (ii) Bachelor's degree in law from a recognized university/institute; AND (iii) Three year's experience as legal practitioner or three years' experience in legal work. OR (i) Five years' integrated degree in law from a recognized university/institute; AND (ii) four years' experience as legal practitioner or four years' experience in legal work. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (ISTC) including period of		

deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputations (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications) **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 The date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of Government of National Capital Territory of Delhi,

R.C. KESARWANI, Asstt. Director (W)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.